बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना – 800001
(पंजीयन सं. – 633/2003)
Website : basabihar.in, E-mail Id: infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुशील कुमार
मो.– 9431091417, 7004466338
Email:shushilkumar09@gmail.com

महासचिव,
* खुर्शीद अनवर सिद्दिकी
मो. – 9771048046,
Email:siddiquikhursheed1@gmail.com

उपाध्यक्ष * किशोरी पासवान
* कमलेश सिंह
संयुक्त सचिव * अतुल कुमार वर्मा
* कुमार रविन्द्र
कोषाध्यक्ष * मिथिलेश कुमार साहु
संयुक्त कोषाध्यक्ष * मणायक दास

पत्रांक 53 दिनांक 13-11-2017

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– **40वीं, 41वीं, 42वीं बैंच के पदाधिकारी को प्रथम रूपानान्तरित वित्तीय उन्नयन देने के संबंध में।**

प्रसंग :– **MJC- 4551/2014 in CWJC- 888/2014 में माननीय उच्च न्यायालय का आदेश दिनांक– 24.05.2017 एवं संघ का पत्रांक 11, दिनांक– 01.04.2015 तथा पत्रांक 39, दिनांक– 23.08.2017**

महाशय,

उपरोक्त विषयक संघ का पत्रांक 11, दिनांक– 01.04.2015 एवं पत्रांक 39, दिनांक– 23.08.2017 का स्मरण कियाा जाय। पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि 40वीं बैंच के साथ 41वीं एवं 42वीं बैंच के पदाधिकारी, जो दिनांक– 01.01.2006 से पूर्व ही चार वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके है, को एम0ए0सी0पी0, 2010 के लागू होने की तिथि 01.01.2009 या उसके बाद की तिथि जब से इन बैंच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि एक ही वेतनमान में कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो जाती है, को ग्रेड पे–6600 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृत दी जाय। अन्यथा बाध्य होकर माननीय उच्च न्यायालय में संघ द्वारा वाद दायर किया जायेगा।

13/11/17

(खुर्शीद अनवर सिद्दिकी)
महासचिव

13/11

(सुशील कुमार)
अध्यक्ष

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित।

13/XI/12

(खुर्शीद अनवर सिद्धिकी)
महासचिव

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001
(पंजीयन सं०–633/2003)
Website: basabihar.in, E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
* सुरेश कुमार शर्मा
मो० ~~9431810346~~/9431479774

महासचिव,
* सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआवत हसन मिन्टो
* राजेन्द्र राम
संयुक्त सचिव: – * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार
कोषाधयक्ष: – * चन्द्र शेखर सिंह
संयुक्त कोषाधयक्ष: – * विनोद आनन्द

पत्रांक :.........1.1.........

दिनांक .....01.04.15.....

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
पटना (बिहार)।

विषय :– माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा CWJC सं0–888/14 में दिनांक–06.02.2014 को पारित आदेश के अनुपालन में भवदीय द्वारा दिनांक–24.12.2014 एवं 29.01.2015 को पारित आदेश में परिलक्षित गंभीर त्रुटियों पर संघ की आपत्ति के संबंध में।

प्रसंग :– सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापांक–17812 दिनांक–24.12.2014, पत्रांक–1603 दिनांक–29.01.2015 तथा पत्रांक–9438 दिनांक–10.07.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्रों के संदर्भ में संघ द्वारा पूर्व में भी विषयांकित रिट याचिका (888/2014) के न्यायादेश के अनुपालन में दिनांक 10.07.2014 को पारित किए गये आदेश में परिलक्षित गंभीर त्रुटियों से भवदीय को अपने पत्रांक 30 दिनांक 26.09.2014 द्वारा अवगत कराते हुए इनके निराकरण हेतु अनुरोध किया गया था। पुनः भवदीय द्वारा प्रासंगिक पत्रों द्वारा विषयांकित रीट याचिका में पारित न्यायादेश के अनुपालन में पूर्व पारित आदेश को विलोपित करते हुए नया आदेश दिनांक 24.12.2014 को तथा इसकी कंडिका 6 को दिनांक 29.01.2015 को संशोधित किया गया है, परतु इस आदेश में भी संघ द्वारा उठाए गए बिन्दुओं पर कोई सकारण आदेश पारित न कर केवल संघ के तथ्य आधारित एवं नियमानुकुल माँगों को नकार दिया गया है जो न केवल अनुचित है वरण् न्यायादेश की भी अवमानना की श्रेणी में आता है।

भवदीय आदेश दिनांक 24.12.14 की कंडिका 5(ग) एवं 5(घ) में वर्तमान एम0ए0सी0पी0एस0, 2010 के प्रावधानों को उद्धृत किया गया है जिसमें बताया गया है कि 4 वर्षों की सेवा एवं सेवा सम्पुष्टि के पश्चात PB-2 ग्रेड पे–5400 से PB-3 ग्रेड पे–5400 में परिवर्त्तन को पहला वित्तीय उन्नयन माना जाएगा तथा कंडिका–6 में 41वीं एवं 42वीं बैच के पदाधिकारियों को विभागीय अधिसूचना संख्या–2361 दिनांक–19.02.2014 द्वारा दिनांक–01.01.2006 को प्रथम वित्तीय उन्नयन स्वीकृत किए जाने का उल्लेख किया गया है। इस संदर्भ संघ द्वारा उपर वर्णित पत्र दिनांक 26.09.14 की कंडिका–7 में दी गई विस्तृत तथ्यों की समीक्षा भवदीय द्वारा आदेश पारित करने के क्रम में नहीं की गई प्रतीत होती है। संघ पुनः स्पष्ट करना चाहती है कि

01.01.2006 की तिथि, न तो 41वीं एवं 42वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा में 4 वर्ष पूर्ण होने की तिथि है, न ही इस तिथि को इनकी सेवा सम्पुष्ट की गई है। ज्ञातव्य हो कि वर्णित अधिसूचना निर्गत होने के पूर्व से ही अधिसूचना में वर्णित पदाधिकारियों को दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से PB-3 ग्रेड पे-5400 में वेतन निर्धारण कर वेतन पुर्जी (Pay Slip) जारी किया जाता रहा है (उदाहरणस्वरूप अधिसूचना सं0-2361 दिनांक-19.02.2014 के सूची क्रमांक- 5) श्री इबरार अहमद खाँ, (41वीं बैच); 12) श्री हेमंत कुमार सिंह, (41वीं बैच); 60) श्री विनय कुमार ठाकुर, (42वीं बैच); एवं 93) श्री कुमार अनिल सिन्हा, (42वीं बैच); पर अंकित पदाधिकरियों का वर्ष 2010 में, अधिसूचना जारी होने के 4 वर्ष पूर्व से ही, निर्गत वेतन पुर्जी की छायाप्रति संलग्न)। ऐसी परिस्थिति में अधिसचूना सं0-2361 दिनांक-19.09.2014 में इन पदाधिकारियों को 01.01.2006 को PB-2 ग्रेड पे-5400 में कार्यरत हैं लिखते हुए उसी तिथि (01.01.2006) से PB-3 ग्रेड पे-5400 में वेतन प्राप्त करने की स्वीकृति प्रदान करने संबंधी अधिसूचना केवल माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश को निष्प्रभावी करने की मंशा से नियम एवं तथ्यों के प्रतिकूल जारी किया गया प्रतीत होता है। जब इस बैच के पदाधिकारी कभी PB-2 ग्रेड पे-5400 में कार्यरत थे ही नहीं तो फिर इनको PB-2 ग्रेड पे-5400 से PB-3 ग्रेड पे-5400 में उत्क्रमण देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 41वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा में योगदान मार्च, 1999 एवं 42वीं बैच के पदाधिकारियों की सेवा में योगदान अक्टूबर, 2000 का है। इन बैच के पदाधिकारियों की सेवा में 4 वर्ष की अवधि क्रमशः मार्च, 2003 एवं अक्टूबर, 2004 होता है और 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने को आधार बनाकर यदि PB-2 ग्रेड पे-5400 से PB-3 ग्रेड पे-5400 में उत्क्रमण दिया जाना है तो इस बैच के पदाधिकारियों को क्रमशः मार्च, 2003 एवं अक्टूबर, 2004 से दिया जाना चाहिए। फिर किस आधार पर पुराने वेतनमान से पुनरीक्षित वेतन में वेतन निर्धारण की तिथि को (छठा वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप) को पहला वित्तीय उन्नयन परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ पुनः संघ स्पष्ट करना चाहेगी कि दिनांक-01.01.2006 को निर्धारित किया गया वेतन केवल पुराने वेतनमान का नया पुनरीक्षित वेतन है न कि कोई वेतन उन्नयन।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि 40वीं बैच के पदाधिकारियों को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्रासंगिक आदेश की कंडिका-6 के शुद्धि पत्र (पत्रांक-1603 दिनांक-29.01.2015) द्वारा ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के निरसन की तिथि 13.07.2010 तक एक ही वेतनमान में सेवा अवधि का 12 वर्ष पूर्ण हो जाने के फलस्वरूप प्रथम वित्तीय उन्नयन (अपुनरीक्षित वेतनमान-10000-15200) पुनरीक्षित वेतन बैण्ड-पी0बी0-3, ग्रेड-पे-6600 में अनुमान्य किया गया है। स्पष्ट है कि सामान्य प्रशासन विभाग स्वयं इस तथ्य को स्वीकार करता है कि उक्त तिथि (13.07.10) तक इस बैच के पदाधिकारी एक ही वेतनमान में कार्यरत थे। अर्थात दिनांक-01.01.2009 को भी ये सभी पदाधिकारी अपनी सेवा में पहले योगदान की तिथि से एक ही वेतनमान में कार्यरत थे यह तथ्य भी सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसी परिस्थिति में 01.01.2009 से एम0ए0सी0पी0 योजना के प्रभावी हो जाने के फलस्वरूप इस बैच के पदाधिकारियों को एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत ही 10 वर्ष से अधिक अवधि तक एक ही वेतनमान में कार्यरत रहने के कारण दिनांक-01.01.2009 से ही प्रथम वित्तीय उन्नयन देय हो जाता है न कि ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के तहत 12 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने पर।

साथ ही सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना संख्या-2361 दिनांक 19.02.2014 द्वारा स्वीकृत किया गया वेतन उन्नयन न केवल तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण एवं नियमों के विरूद्ध है वरण् विधि अनुकुल भी नही है, क्योंकि इस परिभाषा से तो बिहार प्रशासनिक सेवा के जितने भी पदाधिकारी दिनांक-01.01.2006 को बेसिक ग्रेड में कार्यरत थे, का 01.01.2006 को

पुनरीक्षित वेतन में किए गए वेतन निर्धारण को पहला वेतन उन्नयन परिभाषित किया जा सकता है, जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के किसी भी बैच के पदाधिकारी की 4 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि 01.01.2006 नहीं है।

अतः संघ पुनः अनुरोध करना चाहती है कि 40वीं बैच के साथ 41वीं एवं 42वीं बैच के पदाधिकारी, जो दिनांक–01.01.2006 से पूर्व ही चार वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, को एम0ए0सी0पी0एस0, 2010 के लागू होने की तिथि 01.01.2009 या उसके बाद की तिथि जबसे इन बैच के पदाधिकारियों की सेवा अवधि एक ही वेतनमान में कार्य करते हुए 10 वर्ष पूर्ण हो जाती है, को ग्रेड पे–6600 में प्रथम वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दी जाए।

विश्वासभाजन

1/4/15

सुशील कुमार
महासचिव।

ज्ञापांक......11......./पटना, दिनांक 1-4-15

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग, पटना (बिहार) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/4/15

सुशील कुमार
महासचिव।